न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

प्रा0पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/03/2022	06-06-2022	07-06-2023

01– राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भगवान सहाय जाति रेगर निवासी ग्राम बसई जोगियान तहसील थानागाजी जिला अलवर (राजस्थान)

02– भीमसिंह पुत्र तेज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसई जोगियान तहसील थानागाजी जिला अलवर (राजस्थान)

–प्रार्थी

बनाम

01– भू0 आवंटन सलाहाकार समिति जर्ये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर (राजस्थान)

02– देवाराम पुत्र मांगू जाति बलाई निवासी ग्राम जोगीवारा हाल निवासी ग्राम बिलाली तहसील नारायणपुर जिला अलवर (राजस्थान)

03– कमलेश देवी पत्नी बद्रीप्रसाद जाति बलाई निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर (राजस्थान)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 (4) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम भूमि आंवटन आदेश दिनाक 10.09.1975 जिसके द्वारा गैरसायल संख्या 1 के द्वारा गैरसायल संख्या 2 को आराजी खसरा न0 509/2 मिन रकबा 5 बीधा वाके ग्राम बसई जोगियान तहसील थानागाजी को भूमि आंवटन खिलाफ कानून खिलाफ मौका गलत तरीके से जारी कर राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया को निरस्त किये जाने के कम में।

उपस्थितः–

01–श्री भीमसेन विजय –वकील प्रार्थी

02–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1

निर्णय

वकील प्रार्थीयान ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 (4) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम भू0 आंवटन सलाहाकार समिति थानागाजी के द्वारा भूमि आंवटन आदेश दिनांक 10.09.1975 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आराजी खसरा न0 509/2 मिन रकबा 5 बीधा वाके ग्राम बसई जोगियान तहसील थानागाजी का भूमि आंवटन खिलाफ कानून खिलाफ मौका गलत तरीके से जारी कर राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि भू0 आंवटन सलाहाकार समिति थानागाजी अप्रार्थी संख्या 2 को ग्राम बसई जोगियान तहसील थानागाजी की साबिक आराजी खसरा न0 509/2 मिन रकबा 5 बीधा, जिसका हाल आराजी खसरा न0 578 रकबा 1.27 है0 है, ग्राम बसई

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जोगियान तहसील थानागाजी उक्त आराजी कानूनन भूमि आंवटन योग्य नही थी। किन्तु विवादित आराजी को भू0 आंवटन सलाहाकार समिति थानागाजी गैरसायल संख्या 1 के द्वारा नियम एंव विधि विरूद्व तरीके से गैरसायल संख्या 2 देवाराम को भूमि आंवटन कर दिया गया। जबकि विवादित आराजी साबिक खसरा न0 509/2 की किस्म गैरमुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड है, जमाबन्दी संवत 2012 एंव जमाबन्दी संवत 2035 तथा खसरा गिरदावरी संवत 2033 से 2036 तथा जमाबन्दी संवत 2043 में विवादित आराजी की किस्म गैरमुमकिन नाला दर्ज है। गैरसायल संख्या 2 के पक्ष में विवादित आराजी का आंवटन हो जाने के पश्चात गैरसायल संख्या 2 ने आंवटन आदेश के आधार पर विवादित आराजी की खातेदारी प्राप्त करली गयी। जिसका नामान्तकरण संख्या 254 दर्ज व स्वीकृत किया गया। नामान्तकरण में भी आराजी की किस्म गैरमुमकिन नदी दर्ज है, नामान्तकरण दर्ज व स्वीकृत करने से पूर्व भी नियमो को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। जबकि खातेदारी नामान्तकरण संख्या 254 में भी विवादित आराजी की किस्म गैरमुमकिन नदी दर्ज है। इसके बावजूद गैरसायल संख्या 2 ने मिलीभगत करके उक्त नामान्ताकरण के द्वारा खातेदारी प्राप्त की गयी, और राजस्व रिकार्ड में अमल कर लिया गया। इसके बाद गैरसायल संख्या 2 ने विवादित आराजी का बेचान गैरसायल संख्या 3 को कर दिया गया, जिस कारण विवादित आराजी मौजुदा राजस्व रिकार्ड में गैरसायल संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। चूँकि गैरसायल संख्या 1 को उक्त भूमि आंवटन नियम विरूद्व किया गया है, इस कारण गैरसायल संख्या 3 विवादित आराजी का कानूनन बोनाफाईड पर्चेजर नही है। साबिक रिकार्ड के अनुसार प्रस्तावित आराजी की किस्म प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है, किन्तु तत्कालीन भूमि आंवटन अधिकारी व कर्मचारियो से मिलीभगत कर बाला–बाला भूमि का आंवटन करा लिया गया। भू0 आंवटन सलाहाकार समिति थानागाजी द्वारा पारित आदेश दिनाक 10.09.1975 से पूर्व सर्वसाधारण को कोई नोटिस/सूचना जारी नही की गयी, न ही मौके पर जाकर आराजी की किस्म एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज किस्म आदि की सही वस्तुस्थिति के बारे में कोई जॉच की गयी। उक्त पारित भूमि आंवटन आदेश कतई गलत व मनमाने तरीके से नियम व प्रक्रिया के खिलाफ आज्ञा पारित की गयी है। गैरसायल संख्या 2 को आंवटन पश्चात आराजी का दखल नही दिया गया है, तथा न ही कभी काश्त की गयी है। प्रस्तावित आराजी काबिल काश्त नही है, बल्कि उक्त आराजी नदी नाले की उबड खाबड व उँची–नीची तथा नदी नालो में बरसात के समय पानी का बहाव रहता है, वर्षाकाल के बाद ग्रामवासियान के पशु विवादित आराजी में उठते–बैठते है, तथा घास, फूस, पाला आदि पशु चरते है, तथा आंवटी द्वारा भूमि आंवटन की शर्तो की पालन भी नही गयी है। प्रार्थीगण बसई जोगियान तहसील थानागाजी के कदीमी वाशिन्दे है, और जागरूक नागरिक है, विवादित आराजी की किस्म नदी नाले की भूमि है, जो सार्वजनिक सरकारी संपत्ति है। जिसमें आमजन का हित निहित होता है। प्रकरण में जारी भूमि आंवटन आदेश व साबिक रिकार्ड की जानकारी व नामान्तकरण आदि की जानकारी की गयी और नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया। किन्तु आंवटन आदेश उपलब्ध नही होने के कारण नकल प्राप्त नही हो सकी। इसलिए नामान्तकरण में दर्ज नोट को आंवटन आदेश मानते हुए बिना देरी किये प्रार्थना पत्र 14(4) पेश कर निवेदन है, कि प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर भू0 आंवटन सलाहाकार समिति थानागाजी द्वारा पारित भूमि आवंटन आदेश दिनाक 10.09.1975 जिसके द्वारा ग्राम बसई जोगियान की आराजी साबिक खसरा न0 509/2 मिन रकबा 5 बीघा जिसके हाल आराजी खसरा न0 578 रकबा 1.27 है0 का आंवटन गैरसायल 2 को किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया है, कि ग्राम बसई जोगियान तहसील थानागाजी की साबिक आराजी खसरा न0 509/2 मिन रकबा 5 बीघा, जिसके हाल आराजी खसरा न0 578 रकबा 1.27 है0 है। जमाबन्दी संवत 2012 एंव

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जमाबन्दी संवत 2035 तथा खसरा गिरदावरी संवत 2033 से 2036 तथा जमाबन्दी संवत 2043 में आराजी की किस्म गैरमुमकिन नाला दर्ज है। साबिक रिकार्ड के अनुसार प्रस्तावित आराजी प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है, उक्त आराजी का किसी को आंवटन नही किया जा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर भू0 आंवटन सलाहाकार समिति थानागाजी द्वारा पारित भूमि आंवटन आदेश दिनाक 10.09.1975 जिसके द्वारा ग्राम बसई जोगियान की आराजी साबिक खसरा न0 509/2 मिन रकबा 5 बीघा जिसके हाल आराजी खसरा न0 578 रकबा 1.27 है0 का आंवटन किया गया है, को निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि भू0 आंवटन सलाहाकार समिति थानागाजी द्वारा पारित भूमि आंवटन आदेश दिनाक 10.09.1975 जिसके द्वारा ग्राम बसई जोगियान की आराजी साबिक खसरा न0 509/2 मिन रकबा 5 बीघा जिसके हाल आराजी खसरा न0 578 रकबा 1.27 है0 का आवंटन देवा राम किया गया है, जमाबन्दी संवत 2012 एंव जमाबन्दी संवत 2035 तथा खसरा गिरदावरी संवत 2033 से 2036 तथा जमाबन्दी संवत 2043 में विवादित आराजी की किस्म गैरमुमकिन नाला दर्ज है। साबिक रिकार्ड के अनुसार प्रस्तावित आराजी प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में गैरसायलान को जर्ये नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह दिनाक 06.07.2022 को तलब किया गया। जारी नोटिस की पुख्ता तामील रिपोर्ट के गैरसायलान बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है। भू0 आंवटन सलाहाकार समिति थानागाजी द्वारा पारित भूमि आंवटन आदेश दिनाक 10.09.1975 वाके ग्राम बसई जोगियान का मूल आंवटन रिकॉड माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा किसी अन्य प्रकरण में तलब किया हुआ है, अपेक्षित रिकार्ड माननीय न्यायालय से तलब किये जाने हेतु बार–बार निवेदन किये गये, किन्तु अपेक्षित भूमि आंवटन रिकार्ड प्राप्त नही हो सका। प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर एंव आराजी की किस्म नाला होने के कारण प्रार्थना अन्तर्गत 14(4) स्वीकार किये जाने योग्न है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 (4) स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय भू0 आंवटन सलाहाकार समिति थानागाजी द्वारा पारित भूमि आंवटन आदेश दिनाक 10.09.1975 अप्रार्थी संख्या 2 देवाराम के पक्ष में आराजी खसरा न0 509/2 मिन रकबा 5 बीघा वाके ग्राम बसई जोगियान तहसील थानागाजी भूमि आंवटन किया गया है, को खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय भू0 आंवटन सलाहाकार समिति थानागाजी/तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) * अलवर (राज0) *

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)